E-Municipality services by ABM is in full gear at Bihar

27th July 2017

E-Municipality services by ABM is in full gear at Bihar (Prabhat Khabar, 27-July17)

1- Madhubani ULB - Training organised at Urban Development Department to educate about the online services
2- Benipur ULB - DM directed to collect property tax by organising camps.

कवायद. कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

नप होगा हाइटेक पेपरलेस होगा काम

प्रतिनिधि ▸ मधुबनी

नगर परिषद को हाइटेक बनाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है. अब लोगों को होल्डिंग टैक्स का भुगतान या अन्य आवेदन को देने, प्रमाणपत्र लेने के लिये कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. अब शहर के लोग घर बैठे ही वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न काम कर सकेंगे. इसका विधिवत पहल शुरू कर दिया गया है. इस बाबत नगर आवासीय विभाग पटना के निर्देश पर ई नगर पालिका सेवा के तहत ऑनलाइन सेवा को लेकर बुधवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

दो चरणों में हुआ प्रशिक्षण. ई नगर पालिका सेवा के तहत दो चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ. प्रथम चरण में जहां संपत्ति कर संग्रह को लेकर कर संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण नगर आवासीय विभाग पटना से आये परियोजना विश्लेषक आलोक कंठ द्वारा दिया गया. इस दौरान श्री कंठ ने शहर में संपत्ति कर को लेकर ऑनलाइन करने कि प्रक्रिया की जानकारी दी. वहीं दूसरे चरण में नगर पालिका में निबंधित आर्किटेक इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया गया. इस दौरान परियोजना विश्लेषक श्री कंठ ने उपस्थित इंजीनियर को भवन निर्माण लाइसेंस सहित अन्य मामलों को लेकर ऑनलाइन से संबंधित प्रशिक्षण दिया.

वेबसाइट से ही लोग जमा कर सकेंगे टैक्स

प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल अधिकारी व कर्मी.

वेबसाइट पर होगी पूरी जानकारी
ई नगर पालिका होते ही नगर परिषद से संबंधित जानकारी लोगों को घर बैठे मिल जायेगी. इसके लिए www.biharseva.gov.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है. इसके तहत संपत्ति टैक्स. भवन निर्माण आरटीआई, नागरिक सेवा केंद्र, ट्रेड लाइसेंस सहित अन्य मामलों को उक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है. कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने कहा है कि लोगों को सुविधा देने के दिशा में पहल की जा रही है. पारदर्शिता को लेकर यह पहल की गयी है. कार्यालय को पेपरलेस किये जाने की पहल भी है. अब लोग वेबसाइट के माध्यम से ही हर नयी योजना व काम काज को देख सकेंगे.

प्रशिक्षण में ये थे उपस्थित

जहां कर संग्रहकर्ता सत्यनारायण पंजियार, प्रमोद कुमार वर्मा टैक्स दरोगा, अनिल कुमार , मोहन मंडल, सुरेश भंडारी सहित अन्य ने प्रशिक्षण लिया. वहीं आर्किटेक इंजीनियर विनोद कुमार, शैफ उल्लाह अंसारी, मनोज कुमार पूर्वे, सतेंद्र कुमार, विनोद कुमार ने प्रशिक्षण लिया. मौके पर कार्यपालक अभियंता जटाशंकर झा, नगर परिषद में आइटी सुपरवाइजर संजीव कुमार सहित अन्य उपस्थित थे.

प्रभात खबर
Thu, 27 July 2017
epaper.prabhatkhabar.com//c/20876625

प्रभात खबर

बेनीपुर नप में शिविर लगा कराया जायेगा स्वकर निर्धारण

प्रतिनिधि ▸ दरभंगा

- वार्डवार कैंप लगाने का डीएम ने दिया निर्देश
- बैठक से गायब प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण
- जिला माप-तौल पदाधिकारी से मांगी गयी जांच रिपोर्ट
- बिजली परियोजनाओं के लिए किया जायेगा जमीन अधिग्रहण

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन, नीलामपत्रवाद एवं राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक बुधवार को हुई. डीएम ने पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राशि वसूली करने का निर्देश दिया. बेनीपुर नगर परिषद के सभी वार्डों में सर्वे कराकर वार्ड वार कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया. शिविर में लोग स्वमूल्यांकन कर अपना होल्डिंग टैक्स निर्धारित करायेंगे. प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी की बैठक से अनुपस्थिति को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. साथ ही आज का वेतन स्थगित रखने के लिए समस्तीपुर के डीएम को पत्र लिखने को कहा गया. प्रभारी परिवहन पदाधिकारी को दरभंगा जिला के लिए सप्ताह में तीन दिन कार्य-दिवस निर्धारित करने करने का निर्देश डीएम ने दिया. कार्य दिवस में वे वाहन चेकिंग एवं ओवर लोर्डिंग जांच कर रिपोर्ट देंगे. जिला माप-तौल पदाधिकारी द्वारा किये गए जांच की रिपोर्ट भी डीएम ने मांगी. जिला वन पदाधिकारी को आरा मिल की जांच एवं अनुज्ञप्ति के स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया गया. विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई. डीएम ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को प्राथमिकता के तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कर उपलब्ध कराने को कहा.

समाहरणालय में आयोजित बैठक में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं अन्य.

काम में लापरवाह सीओ पर होगी कार्रवाई

सीओ की बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि आरटीपीएस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है. इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. म्यूटेशन, एलपीसी को वेबसाईट पर ससमय अपलोड करने का निर्देश दिया गया. इसमें शिथिलता बरतने वाले सीओ के विरूद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करने का संकेत दिया गया. आरटीपीएस काउण्टरों के रख-रखाव एवं रंग-रोगन हेतु विशेष आवंटन दिये जाने की जानकारी दी गई. निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवंटन से आरटीपीएस काउंटर के पास प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर प्रदर्शित करने हेतु दीवाल लेखन करवाना है. सैरात बन्दोबस्ती, नीलामपत्रवाद, सरजमीनी सेवाएं की भी विस्तृत समीक्षा की गई. सैरात को परता घोषित करने के पूर्व सीओ को स्वयं स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजना होगा. बैठक में नगर आयुक्त नागेन्द्र कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता सुमन कुमार, डीआरडीए निदेशक नरेश झा, एसडीओ डॉ गजेन्द्र प्रसाद सिंह, मो. शफीक, अमित कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघन कामति, स्थापना उप समाहर्त्ता रमेश चन्द्र चौधरी, सामान्य शाखा प्रभारी अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार दिवाकर, डीपीआरओ कन्हैया कुमार समेत सभी सीओ उपस्थित थे.